न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 12/2019/प्रार्थना पत्र मुंतकिली

लक्ष्मणसिंह पुत्र किशनसिंह, जाति राजपूत, निवासी ठीकरिया, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)।

प्रार्थी

बनाम

1. जवाहर सिंह पुत्र लादूराम, जाति जाट, निवासी चला, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
2. जितेन्द्र कुमार ढवास पुत्र जगदीश प्रसाद ढवास, जाति जाट, निवासी गढ़भोपजी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
3. रामावतार सिंह बड़सरा पुत्र सुरेश कुमार बड़सरा, जाति जाट, निवासी कांवट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
4. दिनेश सिंह नेहरा पुत्र मालीराम नेहरा, जाति जाट, निवासी जस्सी का बास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
5. उप पंजीयक,नीमकाथाना, जिला सीकर।
6. तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर।
7. नरेन्द्रसिंह पुत्र शिम्भूसिंह पुत्र दुर्जनसालसिंह
8. गजराजसिंह पुत्र शिम्भूसिंह पुत्र दुर्जनसालसिंह(मृत)

8/1 संतोष कंवर पत्नी गजराज सिंह

9. दशरथ सिंह पुत्र भवानी सिंह (मृत)

9/1 अजीत सिंह पुत्र दशरथ सिंह

9/2 बलराम सिंह पुत्र दशरथ सिंह

9/3 चन्द्रशेखर पुत्र दशरथ सिंह

9/4 रसाल कंवर पत्नी दशरथ सिंह

10. सुमेर सिंह पुत्र भवानी सिंह
11. पुष्प कंवर पत्नी सज्जन सिंह पुत्र किशन सिंह
12. गुलाब सिंह पुत्र सज्जन सिंह पुत्र किशन सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी ठीकरिया, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र मुंतकिली अन्तर्गत धारा 235 आर.टी. एक्ट

निर्णय

दिनांक : 09 सितम्बर, 2019

1. प्रार्थी ने प्रा. पत्र मुन्तकिली के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार अंकित किया है कि :–

(1) भूमि खसरा नम्बर 333/1 रकबा 13 बीघा 533/546 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा ग्राम ठीकरिया, तहसील नीमकाथाना की खातेदारी जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 में किशन सिंह, दुर्जनसाल सिंह, भवानी सिंह पुत्र कल्याण सिंह राजपूत के नाम से दर्ज थी, जिसमें खसरा नम्बर 333 रकबा 13 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी सम्वत 2021 से 2024 में उक्त दर्ज थी किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 में उक्त भूमि के खसरा नम्बर 333/1 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा दर्ज कर दिये जिसका क्षेत्रफल 2.86 हैक्टेयर है।

(2) उक्त भूमि में 1/3 हिस्से के खातेदार दुर्जनसाल सिंह ने दिनांक 07.05.1965 को स्व. रामजीलाल पुत्र सुखदेव ब्राहम्ण के हक में गलत तौर में उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बर अपने कब्जे में बताते हुये विक्रय पत्र तहरीर करवाकर तस्दीक कराने की कार्यवाही की जबकि उसका उक्त खसरा नम्बर के मात्र 1/3 हिस्सा ही था, उसे सम्पूर्ण भूमि विक्रय करने का कोई अधिकारी नहीं था। विक्रय पत्र के आधार पर नामा. संख्या 44 पटवारी हल्का ने भरकर ग्राम पंचायत चला में पेश किया, जिसे उक्त रामजीलाल के हक में बिना किसी जांच के गलत तौर से सम्पूर्ण खसरा नम्बर बाबत दिनांक 25.05.1965 को स्वीकार करने की कार्यवाही की। उक्त विक्रय पत्र ही नियम विरूद्व था। अतः उक्त आधार पर कोई नामान्तरकरण दर्ज व तस्दीक नहीं किया जा सकता था।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(3) अप्रार्थी संख्या 1 बहुत ही प्रभावशाली व असरकार व्यक्ति है तथा ग्राम पंचायत चला के तीन बार सरपंच रह चुके हैं तथा उनका उपखण्ड अधिकरी नीमकाथाना के ऑफिस व घर पर आना जाना है। प्रार्थी ने स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठा देखा है।

(4) दिनांक 27.05.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 ने कस्बा नीमकाथाना में प्रार्थी को एलानियां धमकी देकर कहा कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से हमारी बात हो गई है, पत्रावली में दरखास्त अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रकरण का निर्णय हमारे पक्ष में होगा। प्रार्थी के मन में यह भयंकर आशंका हो गई है, प्रकरण में प्रार्थी के साथ न्याय नहीं होगा।

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकर किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के यहां विचाराधीन प्रकरण 158/2011 उनवानी लक्ष्मण सिंह बनाम जवाहर सिंह आदि को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश फरमाने का श्रम करें।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया तथा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली के संबंध में पीठासीन अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। वकील श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा ने अप्रार्थी संख्या 2 ओर से वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने कस्बा नीमकाथाना में प्रार्थी को एलानियां धमकी देकर कहा कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से हमारी बात हो गई है, पत्रावली में दरख्वास्त अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रकरण का निर्णय हमारे पक्ष में होगा। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में आकर उनके पक्ष में निर्णय करने की पूरी पूरी सम्भावना लग रही है। अतः आवेदन स्वीकर किया जाकर प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस अभिकथन किया कि प्रकरण में कायम मुकाम वाद साक्ष्य इत्यादि होने के पश्चात ही बहस सुनने की स्टेज आती है। प्रार्थी द्वारा कोई ठोस व कानूनी आधार अंकित नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही नियमानुसार व विधिक प्रक्रिया को मध्य नजर रखते हुए की गई है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप आधारहीन व बेबुनियाद हैं, जिसका कोई साक्ष्य/सबूत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी का एक मात्र उद्देश्य प्रकरण को लम्बित एवं जटिल किया रखा जाकर न्यायालय में वाद चलाये रखना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज करने का आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

6. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा मनघड़न्त, बेबुनियाद गलत तथ्य अंकित किये गये हैं। प्रकरण 2017 से पत्रावली बहस हर आदेश 1 नियम 10 सीपीसी में विचाराधीन चल रही है। प्रार्थना पत्र की बहस में हेतु रूटीन में तारीख पेशी दी जा रही है। दिनांक 20.05.2018 को वकील प्रार्थी द्वारा अंतिम अवसर चाही जाकर बहस हर हेतु दिनांक 28.05.2019 नियत की गई थी। प्रकरण 2011 में दर्ज हुआ था। प्रार्थी द्वारा गलत एवं बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र मुन्तकिली पेश किया गया है।

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय न मिलने की उम्मीद होने के कारण न्याय के प्रति विश्वास बना रहे, इसलिए ये न्यायालय प्रथम दृष्टया यही उचित समझता है कि प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना उचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिली **स्वीकार** किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के यहां लम्बित वाद मु.नं. 158/2011 उनवानी लक्ष्मण सिंह आदि बनाम जवाहर सिंह आदि को **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर** के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण **दो माह** की अवधि में किया जावे। पक्षकारान दिनांक 30.09.2019 को प्रातः 10.00 बजे न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर** के यहां उपस्थित होकर चाराजोही करे।

8. निर्णय आज दिनांकः 09 सितम्बर, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर मीना)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner